रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237454
CG-DL-E-22072022-237454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
No. 520] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 593(अ).—अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रारूप विनियम को अंतर्विष्ट करने वाली प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5497(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 दिसंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अंत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन, नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:

''(4) अपशिष्ट टायर का उपयोग और प्रबंधन अनुसूची IX में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।''

3. उक्त नियमों में, अनसूची VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

'अनुसूची IX

[नियम 9(4) देखें]

अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)

1. **परिभाषाएं – इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए -**

(क) **'कारबार'** से नए टायरों के उत्पादन या विनिर्माण या विक्रय के कोई क्रियाकलाप, नए या अपशिष्ट आयात, नए टायरों के साथ फिट किए गए यानों का आयात, घरेलू स्तर पर विक्रीत यानों में उपयोग के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा नए टायरों का आयात या अपशिष्ट टायरों के पुन:चक्रीकरण अभिप्रेत है।

(ख) **'संपरिवर्तन कारक'** से पुनर्चक्रण के प्रत्येक अंत्य उत्पाद की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अपशिष्ट टायर की इकाइयां अभिप्रेत हैं।

(ग) **'अपशिष्ट टायर के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन'** से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना अभिप्रेत है कि अपशिष्ट टायर को इस ढंग से प्रबंधित किया जाए कि ऐसे अपशिष्ट टायर से होने वाले किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके।

(घ) **'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व'** से टायर के उत्पादक का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार अपशिष्ट टायर के पर्यावरणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है।

(ङ) **'उत्पादक'** से कोई दृष्टि से व्यक्ति या निकाय अभिप्रेत है जो;

(i) घरेलू स्तर पर नए टायरों का विनिर्माण करता है और बेचता है; या

(ii) अन्य विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विनिर्मित नए टायर अपने स्वयं के ब्राण्ड के अधीन घरेलू स्तर पर बेचता है; या

(iii) आयातित नए टायरों को बेचता है; या

(iv) नए टायरों सहित फिट किए गए यानों का आयात करता है; या

(v) घरेलू स्तर पर विक्रीत नए वाहनों में उपयोग के लिए नए टायरों का आयात वाला ऑटोमोबाइल विनिर्माता; या

(vi) अपशिष्ट टायर का आयात करता है;

(च) **'पुन:चक्रीकरण'** से टायर अपशिष्ट को निम्नलिखित अंत्य उत्पादों में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया या कार्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या मार्गदर्शक सिद्धांत में यथोल्लिखित सुविधाएं रखना अभिप्रेत है, अर्थात् :

क) पुन: प्राप्त रबड़

ख) अवचूर्ण रबड़

ग) अवचूर्ण रबड़ से संशोधित बिटूमेन (सीआरएमबी)

IndiaCode

घ) पुन: प्राप्त कार्बन ब्लैक, जो नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने योग्य है

ङ) पाइरोलिसिस तेल/चार, जो केवल ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है न कि नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में।

(छ) **'पुनर्चक्रक'** से पुन:चक्रीकरण की प्रक्रिया में संलग्न किसी व्यक्ति या निकाय से अभिप्रेत है।

(ज) **'पुन:चक्रीकरण लक्ष्य'** से इस अनुसूची के पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले अपशिष्ट टायर की मात्रा अभिप्रेत है।

(झ) **'मानक प्रचालन प्रक्रिया'** से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनिर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत हैं जो उपकरणों और प्रक्रियाओं की न्यूनतम अपेक्षा को सुसंपादित करने के लिए है।

(ञ) **'मार्गदर्शक सिंद्धांत'** से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत हैं जो अपशिष्ट टायरों के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ ढंग से प्रबंधन, जिसमें अपशिष्ट टायर की संभलाई, एकत्रीकरण, परिवहन और भंडारण तथा पुन: चक्रीकरण सम्मिलित है, की न्यूनतम अपेक्षा को सुसंपादित करने के लिए किया गया है।

(ट) **'पोर्टल'** से पैरा 9 के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन प्रणाली है।

(ठ) **'रिट्रेडिंग'** से एक अच्छी संरचनात्मक गुणवत्ता वाले खराब हो चुके टायर के ऊपरी हिस्से और साइड वॉल रबर के नवीनीकरण की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ड) **'अपशिष्ट टायर'** से ट्यूब और फ्लैप सहित ऐसा टायर जिसे अब किसी यान में नहीं लगाया जाता है और जिसका उपयोग अब आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

2. लागू होना - इस अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित इकाइयों पर लागू होंगे, अर्थात्

(i) उत्पादक

(ii) अपशिष्ट टायर का पुनर्चक्रक; और

(iii) रीट्रेडर

3. रजिस्ट्रीकरण - (1) पैरा 2 में निर्दिष्ट इकाइयों को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।

(2) कोई इकाई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई भी कारोबार नहीं करेगी ।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाई किसी अरजिस्ट्रीकृत उत्पादक/पुनर्चक्रक के साथ कारोबार नहीं करेंगी।

(4) यदि, कोई रजिस्ट्रीकृत इकाई, इस अनुसूची के अधीन उपबंधित या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण या विवरणी या रिपोर्ट या सूचना प्राप्त करने के लिए मिथ्या जानकारी या जानकारी जानबूझकर छिपाता है या किसी अनियमितता के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी इकाई के रजिस्ट्रीकरण को उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिसंहृत किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, पैरा 10 के अनुसार ऐसे मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभार भी लगाए जा सकते हैं।

(5) यदि कोई इकाई पैरा 3 के अधीन एक से अधिक प्रवर्ग में सम्मिलित होने की स्थिति में है, तो वह इकाई उन प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से रजिस्टर करायेगी।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से समय-समय पर जो विनिर्दिष्ट किए जाए ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस आवेदकों पर प्रभारित कर सकेगा।

IndiaCode

4. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था की पद्धतियां – (1) सभी उत्पादकों पर निम्नानुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताएं होंगी, अर्थात्:

(क) नए टायरों के विनिर्माताओं या आयातकों के लिए:

क्र.सं.	वर्ष	वजन में अपशिष्ट टायर पुन:चक्रीकरण लक्ष्य (किलोग्राम या टन)
(1)	(2)	(3)
(i)	वर्ष 2022-23 की ईपीआर बाध्यता (वर्ष जिसमें यह अनुसूची प्रवृत्त है)	वर्ष 2020-21 में विनिर्मित या आयातित नए टायरों की मात्रा का 35%
(ii)	वर्ष 2023-24 की ईपीआर बाध्यता	वर्ष 2021-22 में विनिर्मित या आयातित नये टायरों की मात्रा का 70%
(iii)	वर्ष 2024-25 की ईपीआर बाध्यता	वर्ष 2022-23 में विनिर्मित या आयातित नये टायरों की मात्रा का 100%
(iv)	वर्ष 2024-25 (वर्ष वाई) के पश्चात, वर्ष (वाई-2) में विनिर्मित या आयातित नए टायरों की मात्रा का 100% विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता होगी।	
(v)	तारीख 1 अप्रैल, 2022 के पश्चात् स्थापित इकाइयों के लिए,विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता दो वर्ष (वाई) के पश्चात शुरू होंगे और वर्ष (वाई-2) में विनिर्मित या आयातित नए टायरों की मात्रा के 100% होगी।	

(ख) अपशिष्ट टायर आयातक के लिए:

(i) वर्ष (वाई) में अपशिष्ट टायर के आयातक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता वर्ष (वाई-1) में आयातित टायर का 100% होगी।

(ii) पाइरोलिसिस तेल/चार के उत्पादन के प्रयोजन से अपशिष्ट टायर का आयात प्रतिषिद्ध है।

(2) रिट्रेडिंग:

(i) अपशिष्ट टायर पर रिट्रेडिंग को अनुमति प्रदान की जाएगी और रिट्रेडर को रिट्रेडिंग प्रमाणपत्र के प्रचालन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होना होगा।

(ii) रिट्रेडिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को अपशिष्ट टायर की तत्स्थानी मात्रा के लिए एक वर्ष के लिए आस्थगित किया जाएगा;

परंतु बाध्यता रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से केवल इनके निपटान के पश्चात ही निर्वापित हो जाएगी।

(3) उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य टायर के टूट-फूट के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकिथत कारक के आधार पर कम किया जाएगा।

(4) (i) उत्पादक अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रकों से ईपीआर प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से पूरा करेगा और तिमाही विवरणी फाइल करके पोर्टल पर इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(ii) तिमाही विवरणी उस तिमाही के समाप्त होने के बाद उत्तरवर्ती माह के अंत तक फाइल किया जाएगा।

(iii) उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रकों द्वारा प्रदत्त ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर पुन: जांच की जाएगी।

(iv) अंतर होने के मामले में उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की पूर्ति के लिए निम्नतर अंक पर विचार किया जाएगा।

IndiaCode

(v) इस पैरा में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस अनुसूची के उपबंधों के कड़े अनुसरण में मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करेगा।

5. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र का सृजन - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र सृजित करेगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र का सृजन करने के लिए पात्र मात्रा की निम्नानुसार सारणी की संगणना की जाएगी, अर्थात् :

सारणी

क्र.सं.	**पुनर्चक्रण का अंत्य उत्पाद**	**अंत्य उत्पाद की मात्रा (Qp)**	**सीपीसीबी द्वारा अवधारित संपरिवर्तन कारक (CF)**	**अंत्य उत्पाद को आबंटित अधिमान (WP)**	**विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा (QEPR = QP x CF x WP)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुधारा हुआ रबर			1.30	
2.	पुन: प्राप्त कार्बन ब्लैक नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने योग्य			1.25	
3.	क्रम्ब रबर मोडिफाइड बिटुमन (सीआरएमबी)			1.10	
4.	क्रम्ब रबर			1.00	
5.	प्रोलाइसिस ऑयल एंड चार (केवल ईंधन के रूप में उपयोग करने योग्य और नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं)				
	(i) निरंतर पायरोलिसिस पद्धति से निकाला गया			0.80	
	(ii) बैच पायरोलिसिस पद्धति से निकाला गया			0.50	

(2) निर्देश-निबंधन – उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजन के लिए -

(i) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का सृजन करने के लिए पात्र मात्रा की निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणना की जाएगी, अर्थात् :

QEPR = QP x CF x WP

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक अंत्य उत्पाद का संपरिवर्तन कारक CF अवधारित किया जाएगा।

IndiaCode

(iii) प्रौद्योगिकीय उन्नतियों, सामग्री की उपलब्धता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए विषय निर्वाचन समिति द्वारा समय-समय पर अधिमान WP की पुनर्विलोकित की जाएगी।

(iv) आयातित अपशिष्ट टायरों के लिए अधिभार WP सभी प्रवर्गों के लिए 1 रहेगा और अपशिष्ट टायरों के आयतकों द्वारा खरीदे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों को उनकी ईपीआर बाध्यता के अनुसार समायोजित किए जाने की स्थिति में अपशिष्ट टायर प्रमाण-पत्र के मान को संबंधित प्रमाण-पत्रों के WP द्वारा विभाजित करके कम किया जाएगा।

3 (क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता, वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के लिए होगी जिसमें इसको सृजित किया गया था।

(ख) अवसित प्रमाण-पत्र, उक्त अवधि के पश्चात स्वत: ही निर्वापित हो जाएगा जब तक कि पैरा 7 के उप पैरा (2) के अनुसार पहले ही निर्वापित न कर दिया हो।

4 (क) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र के लिए सृजन का वर्ष, अंत्य उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकर्ता को कोड और एक विशिष्ट कोड से युक्त एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी।

(ख) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र 100, 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन के या पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिश्चत की जाए मूल्य वर्ग के होंगे।

6. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का संव्यवहार - (1) कोई उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों को वर्तमान वर्ष (वर्ष वाई) की अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता के साथ ही पूर्ववर्ती वर्षों के शेष दायित्व और वर्तमान वर्ष के दायित्व के 10 प्रतिशत हिस्से की सीमा तक खरीद सकता है।

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को उत्पादकों द्वारा तिमाही आधार पर आनुपातिक रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदकर पूरा करना होगा।

(3) जैसे ही उत्पादक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र की खरीद करता है, वैसे ही यह इसके दायित्व के अनुसार स्वत: समायोजित हो जाएगा तथा पूर्ववर्ती दायित्व को इस समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित ईपीआर प्रमाण-पत्र स्वत: निर्वापित और रद्द हो जाएगा।

(4) प्रत्येक उत्पादक/पुनर्चक्रणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वसं बंधी प्रमाण-पत्र की उपलब्धता, अपेक्षा और अन्य ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

(5) ऐसे सभी संव्यहार को अभिलिखित किया जाएगा और उत्पादकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा तिमाही विवरणियों को भरते समय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

7. उत्पादक के उत्तरदायित्व - (1) उत्पादक केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्रों की खरीद करके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उत्पादक इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों में उनके पोर्टल पर वार्षिक और तिमाही विवरणियों को, तिमाही, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बाद के महीने के अंत तक या उससे पहले फाइल करे और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत इकाई को तिमाही विवरणी फाइल करनी होगी।

8. पुनर्चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व-(1) सभी पुनर्चक्रणकर्ताओं को उपयोग किए गए अपशिष्ट टायरों और तैयार किए गए अंत्य उत्पाद की मात्रा, बेचे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र से सुसंगत सूचना और ऐसी अन्य संबद्ध सूचना को पोर्टल पर मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

(2) सभी पुनर्चक्रणकर्ता, विनिर्दिष्ट प्ररूप में उनके पोर्टल पर वार्षिक और तिमाही विवरणियों को, तिमाही, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बाद के महीने के अंत तक या उससे पहले फाइल करेगा।

9. **रजिस्ट्रीकरण, वार्षिक विवरणियों को भरने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और सामग्रियों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल-** (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण और साथ-साथ तिमाही विवरणियों भरने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र को सृजित और समायोजित करने तथा पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा मासिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने हेतु एक पोर्टल विकसित करेगा।

(2) यह पोर्टल, अपशिष्ट टायरों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए इस अनुसूची के उपबंधों के संबंध में एकल बिंदु आंकड़ा संग्रह के रूप में कार्य करेगा और इससे निम्नलिखित सूचना उपलब्ध होगी, अर्थात् :

(i) उत्पादक के लिए- अलग-अलग वर्षों के नए टायरों का आयात या उत्पादन, अपशिष्ट/नए टायरों की मात्रा, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र की खरीद के संबंध में तिमाही विवरणी, प्रत्येक वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता का समायोजन, वर्तमान वर्ष की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता और पूर्ववर्ती वर्षों की अग्रानीत बाध्यता।

(ii) पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए- पुनर्चक्रित सामग्री और अंत्य उत्पाद संबंधी सूचना और मात्रा प्रस्तुत करने के लिए सुविधा तथा सृजित किए गए और बेचे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपशिष्ट टायर के आयातक के मामले में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के मान को इसे WP द्वारा विभाजित करके कम किया जाए।

(iii) इस पोर्टल में विभिन्न उत्पादकों की वर्तमान अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता, पुनर्चक्रणकर्ताओं के पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र की मात्रा और उत्पादकों के पास अतिशेष ईपीआर प्रमाण-पत्रों से संबंधित सूचना उपलब्ध होगी।

(iv) पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से इस अनुसूची के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सुविधा।

(3) पोर्टल को विकसित किए जाने तक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यकलाप ऑफलाइन रीति से किए जाएंगे।

(4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए सभी सुसंगत प्ररूपों या विवरणियों का प्रारूप विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोर्टल के माध्यम से उत्पादक और पुनर्चक्रणकर्ताओं से पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसी प्रसंस्करण या रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित करेगा।

10. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति-** (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अनुसूची में उपवर्णित बाध्यताओं को पूरा न करने और गलत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र के उपयोग के मामले में उत्पादकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने और संग्रहीत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकिथत करेगा। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत इस अनुसूची के अनुसार होंगे तथा पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति द्वारा अनुमोदित होंगे और कार्यान्वयन से पहले केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

(2) गलत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने और गलत जानकारी उपलब्ध कराने पर पुनचक्रणकर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी उद्गृहीत की जाएगी।

(3) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों, पुनचक्रणकर्ताओं और ऐसी किसी इकाई से भी उद्गृहीत किया जाएगा जो इस अनुसूची के उपबंधों के उल्लंघन में सहायता या दुष्प्रेरण करती है।

4(क) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदाय इस अनुसूची में उपवर्णित बाध्यताओं से उत्पादकों को मुक्त नहीं करेगा और किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को अगले वर्ष तक और इस प्रकार से 3 वर्ष तक अग्रनीत किया जाएगा।

(ख) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की कमी को 1 वर्ष के बाद दूर किया जाता है, तो उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 85% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की कमी को दूसरे वर्ष के बाद दूर किया जाता है तो, उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 60% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा और यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की कमी को तीसरे वर्ष के बाद दूर किया जाता है, तो उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 30% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, तत्पश्चात उत्पादकों को कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।

(5) गलत जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तविक पुनचर्क्रित अपशिष्ट के 5% से अधिक पुनचक्रणकर्ताओं द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्रों का सृजन अधिक होने के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत का प्रतिसंहरण हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण हो जाएगा जो वापिसी योग्य नहीं होगा।

(6) (क) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्रित निधियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पृथक से निलंब लेखा (एसक्रो अकाउंट) में रखा जाएगा और संग्रहण में उपयोगित किया जाएगा और एकत्र न किए गए ऐसे अपशिष्ट टायर, जिन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की जाती है – जिनका जीवन चक्र समाप्त हो गया है या पुनचक्रीय, के निपटान और ऐसे टायर, जिनका जीवन चक्र समाप्त नहीं हुआ है/गैर-पुनर्चक्रीय, के निपटान और एकत्रण में संग्रहित की गई निधियों का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा उक्त विषय निर्वाचन समिति अनुच्छेद 13 के अधीन गठित द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(ख) विषय निर्वाचन समिति द्वारा निधियों के उपयोग के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश की जाएगी और उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इस संबंध में अनुदेश भी जारी कर सकता है।

11. अभियोजन - ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन अपेक्षित जानकारी को गलत उपलब्ध कराता है, किसी भी तरीके से गलत या कूटरचित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र का उपयोग करता है या हेतु बनता है, वास्तविक पुनचर्कित अपशिष्ट के 5% से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र सृजित करता है, जान बूझकर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है और यह अभियोजन उपरोक्त पैरा 10 के अधीन उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।

12. सत्यापन और लेखा परीक्षा - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उत्पादकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं के अनुपालन को उचित समझे जाने पर सत्यापित करेगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य, बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों को पूरा न करने और उसके उल्लंघनों पर पैरा 10 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

13. अपशिष्ट टायर के लिए ईपीआर व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए विषय निर्वाचन समिति - (1) अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी व्यवस्था के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके नामिती अध्यक्ष की अध्यक्षता में विषय निर्वाचन समिति होगी और अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात्:

क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

ख) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का एक प्रतिनिधि।

ग) ऑटोमोबाइल टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि।

घ) रिसाइकलर्स एसोसिएशन (अर्थात पुननिर्मित रबर, क्रम्ब रबर, क्रम्ब रबर मोडिफाइड बिटुमन, पुन:प्राप्त कार्बन ब्लैक और टायर पायरोलिसिस ऑयल मैनुफैक्चर्स) के विनिर्माता का एक प्रतिनिधि ।

ङ) विषय निर्वाचन समिति के अध्यक्ष द्वारा सथासहयोजित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि।

च) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित प्रभाग के प्रमुख - सदस्य संयोजक।

(2) विषय निर्वाचन सीमित कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगी और समय-समय पर उदभूत विवादों को इस संबंध में प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों पर विनिश्चय करेगी।

(3) विषय निर्वाचन समिति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रौद्योगिक उन्नति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के तरीकों के लक्ष्य, महत्व और अनुमेयता का पुनर्विलोकन और संशोधन करेगी।

(4) विषय निर्वाचन समिति इस अनुसूची के उपबंधों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जो वह उचित समझे ऐसे सभी उपाय करेगी।

[फा. सं. 09/6/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 395(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 544(अ), तारीख 11 जून, 2018, सा.का.नि. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2019, सा.का.नि. 641(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021 और सा.का.नि. 798(अ), तारीख 12 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

G.S.R. 593(E).—Whereas the draft notification containing the draft Regulations on Extended Producer Responsibility for Waste Tyre were published, by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification number S.O. 5497 (E), dated the 31st December, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public on the 31st day of December, 2021;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

''(4) The utilisation and management of waste tyre shall be in accordance to the provisions contained in Schedule IX.''.

3. In the said rules, after Schedule VIII, the following Schedule shall be inserted, namely: -

'SCHEDULE IX

[See rule 9 (4)]

Extended Producer Responsibility (EPR) for Waste Tyre

1. Definitions. – For the purposes of this Schedule, -

(a) ''business'' means any activity of production or manufacturing or sale of new tyre, import of new or waste tyre, import of vehicle fitted with new tyre, import of new tyre by automobile manufacturer for use in vehicle sold domestically and recycling of waste tyre;

(b) ''conversion factor'' means units of waste tyre needed to produce one unit of each end product of recycling;

(c) ''environmentally sound management of waste tyre'' means taking all steps required to ensure that waste tyre is managed in a manner so as to protect health and environment against any adverse effects which may result from such waste tyre;

(d) ''extended producer responsibility'' means responsibility of producer of tyre to ensure environmentally sound management of waste tyre in accordance with the provisions of this Schedule;

(e) ''producer'' means any person or entity who, -

(i) manufactures and sells new tyre domestically; or

(ii) sells domestically under its own brand, new tyre manufactured by other manufacturers or suppliers; or

(iii) sells imported new tyre; or

(iv) imports vehicles fitted with new tyres; or

(v) automobile manufacturers importing new tyre for use in new vehicles sold domestically; or

(vi) imports waste tyre;

(f) ''recycling'' means any process or action of converting waste tyre into following end products, in an environmentally sound manner and having facilities as elaborated in the standard operating procedure or guidelines as specified by the Central Pollution Control Board, namely; -

(i) reclaimed rubber;

(ii) crumb rubber;

(iii) crumb rubber modified bitumen (CRMB);

(iv) recovered carbon black, which is usable as raw material for manufacture of new tyre; and

(v) pyrolysis oil or Char, which is used only as a fuel and not as raw material for manufacture of new tyre;

(g) ''recycler'' means any person or entity engaged in the process of recycling;

(h) ''recycling target'' means quantity of waste tyre to be recycled as per the provisions of paragraph 6 of this Schedule;

(i) ''standard operating procedure'' means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement of equipment and processes;

(j) ''guidelines'' means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement for achieving environmentally sound management of waste tyres including handling, collection, transportation and storage and recycling of waste tyre;

(k) ''portal'' means the online system developed by the Central Pollution Control Board under

IndiaCode

paragraph 9;

(l) ''retreading'' means process of renewal of tread and side wall rubber of a worn out tyre having a good structural quality; and

(m) ''waste tyre'' means any tyre, including tubes and flaps that is no longer mounted on a vehicle and is no longer used for its intended purpose.

2. Application. - The provisions of this Schedule shall be applicable to the following entities, namely: -

(i) producer;

(ii) recycler of waste tyre; and

(iii) retreader.

3. Registration. - (1) The entities referred in paragraph 2 shall register on the portal.

(2) No entity shall carry out any business without registration.

(3) The entities registered under sub-paragraph (1) shall not deal with any unregistered producer or recycler.

(4) In case, any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return or report or information required to be provided or furnished under this Schedule or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to three years after giving an opportunity of being heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied in such cases as per paragraph 10.

(5) In case any entity is covered in more than one category under paragraph 3, then the said entity shall register under those categories separately.

(6) The Central Pollution Control Board may charge such registration fees from the applicants as may be specified from time to time with the approval of the steering committee constituted under paragraph 13.

4. Modalities of extended producer responsibility regime. - (1) All producers shall have the following extended producer responsibility obligations, namely: -

(a) For manufacturers or importers of new tyres: -

Sl. No.	**Year**	**Waste Tyre Recycling Target in Weight (Kilogram or Tons)**
(1)	(2)	(3)
(i)	EPR obligation of the year 2022-2023 (the year in which this Schedule comes into force	35% of the quantity of new manufactured or tyres imported in year 2020-2021
(ii)	EPR obligation of the year 2023-2024	70% of the quantity of new manufactured or tyres imported in year 2021-2022
(iii)	EPR obligation of the year 2024- 2025	100% of the quantity of new manufactured or tyres imported in year 2022-2023.
(iv)	After the year 2024-2025 (year Y), the extended producer responsibility obligation shall be 100% of the quantity of new tyres manufactured or imported in the year (Y-2).	
(v)	Units established after the 1st April, 2022, the extended producer responsibility obligation shall start after two years (Y) and shall be 100% of the new tyres manufactured or imported in the year (Y-2).	

(b) For waste tyre importer: -

(i) The extended producer responsibility obligation for waste tyre importer in year (Y) shall be 100% of the tyre imported in year (Y-1)

(ii) The import of waste tyre for the purpose of producing pyrolysis oil or char is prohibited.

(2) Retreading: -

(i) The waste tyre shall be allowed for retreading and a retreader shall have to get registered on the portal for issuance of retreading certificates.

(ii) On production of retreading certificates, the extended producer responsibility obligation shall be deferred by one year for the corresponding quantity of waste tyre:

Provided that the obligation shall be extinguished only after end of life disposal through a registered recycler.

(3) The extended producer responsibility target of producer shall be reduced by a factor laid down by the Central Pollution Control Board on account of wear and tear of tyres.

(4) (i) The producer shall fulfill their extended producer responsibility obligation through online purchase of extended producer responsibility certificate from registered recyclers only and submit it online on the portal by filing quarterly return.

(ii) The quarterly return shall be filed by the end of the month succeeding the end of the quarter.

(iii) The details provided by producers and registered recyclers shall be cross-checked on the portal.

(iv) In case of difference, the lower figure shall be considered towards fulfilment of extended producer responsibility obligation of producer.

(v) The certificates referred to in this paragraph shall be subject to environmental audit by the agencies authorised by the Central Government in this regard.

(5) The Central Pollution Control Board shall specify the standard operating procedure strictly in accordance with the provisions of this Schedule.

5. Extended producer responsibility certificate generation. - (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favor of a registered recycler and the eligible quantity for generating extended producer responsibility certificates shall be calculated as per the following table, namely: -

TABLE

Sl. No.	End Product of recycling	Quantity of End Product **(Qp)**	Conversion factor determined by CPCB ($\mathbf{C_{F)}}$	Weightage allocated to the end product ($\mathbf{W_P}$)	Quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate ($\mathbf{Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Reclaimed Rubber			1.30	
2.	Recovered Carbon Black usable as raw material for manufacture of new tyre.			1.25	
3.	Crumb rubber Modified Bitumen (CRMB)			1.10	

4.	Crumb rubber			1.00	
5.	Pyrolysis oil and char (usable as fuel only and not as raw material for manufacture of new tyre) (i) extracted from continuous pyrolysis method (ii) extracted from batch pyrolysis method			 0.80 0.50	

(2) **Term of Reference. - For the purpose of the Table referred to in sub-paragraph (1), -**

(i) the quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$\mathbf{Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P ;}$$

(ii) conversion factor $\mathbf{C_F}$ for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board;

(iii) the weightage $\mathbf{W_P}$ shall be reviewed by the Steering Committee from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors;

(iv) the weightage $\mathbf{W_P}$ for imported waste tyres shall be 1 for all categories and the value of waste tyre certificate shall be reduced by dividing it by $\mathbf{W_P}$ of respective certificates when the extended producer responsibility certificates purchased by waste tyre importer are adjusted against their EPR obligation.

(3) (a) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated.

(b) The expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.

(4) (a) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code.

(b) The extended producer responsibility certificates shall be in the denominations of 100, 200, 500 and 1000 Metric Tonnes or as may be decided by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 13.

6. Transaction of extended producer responsibility certificates. - (1) A producer can purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10% of the current year liability.

(2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificate on quarterly basis.

(3) As soon as the producer purchases extended producer responsibility certificate, it shall be automatically adjusted against its liability, priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.

(4) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer or recycler shall be made available on the portal.

(5) All such transactions shall be recorded and submitted by the producers or recyclers on the portal at the time of filing quarterly returns.

7. **Responsibilities of the producer. -** (1) The producer shall be responsible for fulfillment of extended producer responsibility by purchasing extended producer responsibility certificates from registered recyclers only.

(2) The producer shall be responsible to file annual and quarterly returns in the forms as specified by the Central Pollution Control Board on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the return relates and each registered entity shall have to file the quarterly return.

8. **Responsibilities of the recycler. -** (1) All the recycler shall submit on monthly basis the information regarding quantity of waste tyres used and end product produced, extended producer responsibility certificate sold and such other relevant information on the portal.

(2) All the recycler shall file annual and quarterly returns in the Form as specified on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the return relates.

9. **Portal for registration, filing of annual returns, extended producer responsibility certificate and tracing of materials.** - (1) The Central Pollution Control Board shall develop the portal to establish an online system for the registration and filing of quarterly returns, generation and adjustment of extended producer responsibility certificate and submission of monthly information by recyclers.

(2) The portal shall act as the single point data repository with respect to the provisions of this Schedule for implementation of extended producer responsibility for waste tyre and contain the following information, namely: -

(i) **For producer.** - import or production of new tyres of different years, quantity of waste or new tyres, quarterly return in respect of extended producer responsibility certificate purchase, adjustment of extended producer responsibility obligation for each year, the current year extended producer responsibility obligation and brought forward obligation of preceding years.

(ii) **For recyclers.** - facility for submitting information and quantity of recycled material and end product, extended producer responsibility Certificate generated and sold and ensure that value of extended producer responsibility is reduced by diving it by $\mathbf{W_P}$ in case of waste tyre importer.

(iii) The portal shall provide information with respects to current unfulfilled extended producer responsibility obligations of different producers, the quantity of extended producer responsibility certificate with recyclers and surplus extended producer responsibility certificate with producers.

(iv) Any other facility which is required to streamline the implementation of the provisions of this Schedule with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 13.

(3) Till the time the portal is developed, all activities related to implementation of extended producer responsibility shall be done inoff-line manner.

(4) The Central Pollution Control Board shall specify the formats of all the relevant forms or returns for the extended producer responsibility in accordance with the provisions of this Schedule.

(5) The Central Pollution Control Board may charge such processing or registration fee from the producer and recyclers through portal as may be specified from time to time by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 13.

10. **Environmental Compensation. –** (1) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the producers in case of non-fulfilment of obligations set out in this Schedule and use of false extended producer responsibility certificate and the said guidelines shall be in accordance with the provisions of this Schedule and shall require to be approved by the Steering Committee constituted under paragraph 13 and Central Government before implementation.

IndiaCode

(2) The environmental compensation shall also be levied on the recyclers for issue of false extended producer responsibility certificate and providing false information.

(3) The environmental compensation shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity which aids or abets the violation of the provisions of this Schedule.

(4) (a) The payment of environmental compensation shall not absolve the producers from the obligation set out in this Schedule and the unfulfilled extended producer responsibility obligation for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years.

(b) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after first year, 85% of the environmental compensation levied shall be returned to the producers, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after second year, 60% of the environmental compensation levied shall be returned to the producers, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after third year, 30% of the environmental compensation levied shall be returned to the producers, thereafter no environmental compensation shall be returned to the producer.

(5) Any false information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above 5% of the actual recycled waste shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable.

(6) (a) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate escrow account by the Central Pollution Control Board and shall be utilised in collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of waste tyres on which the environmental compensation is levied and on such other heads as decided by the said Steering Committee constituted under paragraph 13.

(b) modalities for utilisation of the funds shall be recommended by the Steering Committee and approved by the Central Government, which may also issue instructions in this regard.

11. Prosecution. - Any person, who provides incorrect information for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, over generates extended producer responsibility certificates above 5% of the actual waste recycled, willfully violates the directions given under the provisions of this Schedule or fails to co-operate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of the Act and this prosecution shall be in addition to the environmental compensation levied under paragraph 10.

12. Verification and Audit. - The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of producers or recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate and the actions against violations and for non-fulfillment of extended producer responsibility target, obligations and responsibilities shall be in accordance with the provisions of paragraph 10.

13. Steering Committee for implementation of extended producer responsibility regime for waste tyre. - (1) There shall be a Steering Committee under the Chairmanship of the Chairman, Central Pollution Control Board or his nominee to oversee the overall implementation of the extended producer responsibility regime for waste tyre and shall comprise of the following other members in addition to the Chairman, namely:

(a) one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(b) one representative of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade;

(c) one representatives of the Automobile Tyre Manufacturers Associations;

(d) one representatives of the Recycler Associations (viz. manufacturer of reclaimed rubber, crumb rubber, crumb rubber modified bitumen, recovered carbon black and tyre pyrolysis oilmanufacturers);

(e) one representatives of the State Pollution Control Board or Pollution Control committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;

(f) Head of the Concerned Division of the Central Pollution Control Board – Member- Convener.

(2) The Steering Committee shall monitor and supervise implementation of the provisions of this Schedule and shall decide the disputes arisen from time to time on the representations received in this regard.

(3) The Steering Committee shall review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors with the approval of the Central Government.

(4) The Steering Committee shall take all such measures as it deems necessary for proper implementation of the provisions of this Schedule.'.

[F. No. 09/6/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016, G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017, G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018, G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019, G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020, G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021 and G.S.R. 798(E), dated 12th November, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA